

शुल्कों की अनुसूची
(संस्करण 2.6)

| | | |
|---|--|--|
| शुल्कों का विवरण | व्यावसायिक क्रेडिट कार्ड (व्यावसायिक कार्ड व्यापारिक कार्डों का एक प्रकार हैं) - क्रय कार्ड - विमानन कार्ड - यूटिलिटी कार्ड - क्रय पुरस्कार कार्ड - केंद्रीय यात्रा खाता (CTA) - क्रय प्रीमियम - प्राप्ति खाता - क्रय मनीबैंक - देय खाता - डीलर कार्ड - देय खाते - टीए कार्ड - फ्लोट कार्ड - पेटीएम क्रय कार्ड - अन्य अनुकूलित समाधान | |
| उधार अवधि | डीलर कार्ड के लिए अधिकतम 22 दिन यूटिलिटी कार्ड के लिए अधिकतम 40 दिन परचेज कार्ड के लिए अधिकतम 45 दिन CTA, परचेज प्रीमियम, परचेज मनीबैंक और पेटीएम परचेज कार्ड के लिए अधिकतम 50 दिन | |
| न्यूनतम पुनर्भुगतान राशि | परचेज प्रीमियम, परचेज मनीबैंक और डीलर कार्ड के मामले में: खुदरा शेष का 30% और वित्त शुल्क तथा अन्य सभी शुल्क, उपकर और करों का 100%। अन्य कमर्शियल कार्ड: कुल देय राशि का 100% जून '25 से प्रभावी: परचेज प्रीमियम, परचेज मनीबैंक और डीलर कार्ड के लिए: यदि (वित्त शुल्क + खुदरा खर्च) का 30% वित्त शुल्क से अधिक है, तो: एमएडी = कुल जीएसटी + शुल्क/प्रभार का 100% + (वित्त शुल्क + खुदरा खर्च) का 30%। यदि (वित्त शुल्क + खुदरा खर्च) का 30% वित्त शुल्क से कम है, तो: एमएडी = कुल जीएसटी + शुल्क/प्रभार का 100% + वित्त शुल्क का 100% + खुदरा खर्च का 30%। अन्य कमर्शियल कार्ड: कुल देय राशि का 100% | |
| घूमती उधारी पर शुल्क | परचेज प्रीमियम / परचेज मनीबैंक – प्रति माह 1.99%, वार्षिक 23.88%। डीलर कार्ड – प्रति वर्ष 10.3%। | |
| सदस्यता/नवीनीकरण शुल्क | शून्य | |
| अभुगतान पर शुल्क (*लेन-देन की तिथि से लागू) | सेंट्रल ट्रेवल अकाउंट्स (CTA) – प्रति माह 1.50%, वार्षिक 18% परचेज कार्ड, पेटीएम परचेज कार्ड और यूटिलिटी कार्ड – प्रति माह अधिकतम 2.95%, वार्षिक अधिकतम 35.4% ट्रेड एडवांस (TA) – प्रति माह 1.25%, वार्षिक 15% परचेज प्रीमियम – प्रति माह 1.99%, वार्षिक 23.88% परचेज मनीबैंक – प्रति माह 1.99%, वार्षिक 23.88% डीलर कार्ड – प्रति माह 1.025%, वार्षिक 12.3% | |
| विलंबित भुगतान शुल्क | बकाया शेष राशि | विलंबित भुगतान शुल्क |
| | तक ₹100/- ₹100/- को ₹500/- ₹500/- को ₹5000/- ₹5000/- को ₹10,000/- से अधिक ₹10,000/- | ₹0 ₹100/- ₹500/- ₹600/- ₹750/- |
| नकद संसाधन शुल्क | परचेज प्रीमियम कार्ड – ईंधन अधिभार छूट अधिकतम 1% तक सीमित, प्रति बिलिंग साइकिल अधिकतम ₹500 तक, ₹400 से ₹5000 तक के लेनदेन पर (जीएसटी लागू)। अन्य कमर्शियल कार्ड – ईंधन अधिभार ईंधन लेनदेन राशि का 1% से 2.5% तक होता है। अधिभार की दर फ्यूअल स्टेशन और उनके अधिग्रहण बैंक के अनुसार भिन्न हो सकती है। | |
| सुविधा शुल्क (केवल डीलर कार्ड पर लागू) | ₹300 प्रति लेन-देन | |
| खोए, चोरी हुए या क्षतिग्रस्त कार्ड को पुनः जारी करना | ₹100 प्रत्येक पुनः जारी कार्ड पर | |
| भुगतान वापसी शुल्क | भुगतान राशि का 2%, जो न्यूनतम ₹450 के अधीन है। | |

| | |
|--|--|
| बाहरी चेक प्रोसेसिंग शुल्क | ₹5,000 तक के चेक मूल्य - शुल्क होगा ₹25/- ₹5,000 से अधिक के लिए चेक मूल्य - शुल्क होगा ₹50- |
| पुनर्प्राप्ति शुल्क (चार्जस्लिप) | प्रति चार्जस्लिप ₹125/- |
| विदेशी मुद्रा लेनदेन पर शुल्क | परचेज प्रीमियम / परचेज मनीबैंक – लेनदेन मूल्य पर 2.5% मार्कअप अन्य कमरिशियल कार्ड – लेनदेन मूल्य पर 3.5% मार्कअप |
| डायनामिक एवं स्टैटिक कन्वर्जन मार्कअप शुल्क | अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर या भारत में स्थित लेकिन विदेश में पंजीकृत व्यापारियों पर भारतीय मुद्रा में किए गए सभी लेन-देन पर दिनांक 1 जनवरी 2023 से, 1% का मार्कअप शुल्क लगाया जाएगा। |
| वस्तु एवं सेवा कर (GST): | <ul style="list-style-type: none"> सभी शुल्कों एवं प्रभारों पर 18% जीएसटी लागू लागू जीएसटी प्रावधान के स्थान (पीओपी) और आपूर्ति के स्थान (पीओएस) पर निर्भर करेगा। यदि पीओपी और पीओएस एक ही राज्य में हैं, तो लागू जीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी होगा, अन्यथा आईजीएसटी होगा। विवरण तिथि पर बिल किए गए शुल्क, प्रभार/ब्याज लेनदेन पर जीएसटी अगले महीने के विवरण में दिखाई देगा। शुल्क, प्रभार/ब्याज पर किसी भी विवाद पर लगाया गया जीएसटी वापस नहीं किया जाएगा। |
| किराया भुगतान (तृतीय पक्ष विक्रेताओं के माध्यम से किया गया) शुल्क | एचडीएफसी बैंक के पेमेंट गेटवे पर – 1.8% + जीएसटी अन्य बैंकों के पेमेंट गेटवे पर – दरें IRTC वेबसाइट के अनुसार |
| मुहलत | जहाँ भुगतान अतिदेय नहीं हैं वहाँ क्रेडिट कार्ड खातों पर भुगतान की देय तिथि से 3 दिनों की छूट दी जाती है। क्रेडिट कार्ड विवरणी में उल्लिखित भुगतान देय तिथि वह तिथि है जिसके द्वारा क्रेडिट कार्ड में स्पष्ट धनराशि जमा की जानी चाहिए, तथापि, भुगतान के प्रोसेसिंग के समय को समायोजित करने हेतु 3 दिनों की छूट प्रदान किए जाते हैं। बैंक क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को क्रेडिट कार्ड खाते को 'विगत देय' के रूप में रिपोर्ट करेगा और जब क्रेडिट कार्ड खाता 3 दिनों से अधिक समय तक 'विगत देय' रहता है, तो विलम्ब से भुगतान प्रभार लगाएगा। तथापि, 'विगत देय दिनों' की संख्या और विलम्ब से भुगतान प्रभार की गणना क्रेडिट कार्ड विवरण में उल्लिखित भुगतान देय तिथि से की जाएगी। |
| तीसरे पक्ष के व्यापारियों के माध्यम से किए गए किराया भुगतान पर शुल्क | महीने भर में किसी भी लागू व्यापारी पर किए गए किराया लेन-देन पर लेन-देन राशि का 1% शुल्क लिया जाएगा। 1 जुलाई 2025 से प्रति लेन-देन शुल्क की अधिकतम सीमा ₹4999 निर्धारित की गई है। |
| ऑनलाइन कौशल आधारित गेमिंग | दिनांक 1 जुलाई 2025 से, एक कैलेंडर महीने में 10,000 रुपये से अधिक ऑनलाइन कौशल आधारित गेमिंग खर्च पर 1% शुल्क लगाया जाएगा। यह शुल्क एक कैलेंडर महीने में कुल ऑनलाइन कौशल-आधारित गेमिंग खर्च पर लगाया जाएगा। प्रति लेनदेन पर शुल्क की राशि 4999 रुपये तक सीमित है। |
| वॉलेट लोडिंग (पेज़ैप को छोड़कर) | दिनांक 1 जुलाई 2025 से, एक कैलेंडर महीने में 10,000 रुपये से ज़्यादा वॉलेट लोडिंग खर्च पर 1% शुल्क लगाया जाएगा। एक कैलेंडर महीने में कुल वॉलेट लोडिंग खर्च पर शुल्क लगाया जाएगा। प्रति लेनदेन पर शुल्क की राशि 4999 रुपये तक सीमित है। |
| एपीआर मान जानने के लिए, कृपया नीचे दिए गए लिंक से एपीआर कैलकुलेटर चुनें: https://www.hdfcbank.com/personal/pay/cards/commercial-credit-cards/membership-kit | |
| किसी भी बिक्री संबंधी पूछताछ। गलत बिक्री / उत्पीड़न / शिकायतों के लिए, कृपया cardsalescomplaint@hdfcbank पर लिखें या 044 - 61084900 पर कॉल करें। | |
| आरबीआई द्वारा जारी अधिदेश के अनुसार, आपके क्रेडिट कार्ड पर किए गए लेन-देन की प्रकृति और उद्देश्य के आधार पर, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे एफसीआरए खातों के माध्यम से क्रेडिट कार्ड पर कोई भुगतान न करें। यदि इन खातों के माध्यम से कोई भुगतान देखा जाता है, तो ग्राहक को गृह मंत्रालय से ऐसे भुगतानों के लिए स्पष्टीकरण मांगने वाला नोटिस प्राप्त हो सकता है। | |
| हमारी कॉर्पोरेट प्रतिबद्धता > नागरिक चार्टर > ग्राहक मुआवज़ा नीति > क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक प्रतिकर नीति बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है | |
| फ़ोनबैंकिंग नंबर | |
| प्रश्नों के लिए, कृपया हमें कॉल करें 1800 1600 / 1800 2600 विदेश यात्रा करने वाले ग्राहक हमसे संपर्क कर 022-61606160 | |

हमारे उत्पादों और सेवाओं के बारे में यदि आप कॉल नहीं करना चाहते हैं, तो कृपया हमारी वेबसाइट: www.hdfcbank.com पर लॉग इन करें और हमारे डॉन'ट कॉल रजिस्ट्रेशन विकल्प में स्वयं को पंजीकृत करें

सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें

(संस्करण 2.6)

1. शुल्क और प्रभार

A. कार्डधारक द्वारा क्रेडिट कार्ड पर देय शुल्क

यह जानकारी कार्डधारक को क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय प्रदान की जाती है। ऊपर बताए गए शुल्क, जहाँ लागू हों, कार्ड खाते में बिल किए जाते हैं और जिस महीने शुल्क लिया जाता है, उस महीने के कार्ड स्टेटमेंट में दर्शाए जाते हैं।

B. शुल्क और प्रभारों की अनुसूची और निबंधन और शर्तों में कोई भी रूपांतरण। सामान्यतः यह रूपांतरण (विनियामक आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को छोड़कर) 30 दिनों का नोटिस देकर संभावित प्रभाव से किए जाएंगे।

नकद अग्रिम

C. लागू नहीं

शुल्क

(i) समय-समय पर यथा लागू प्रभार और शुल्क, एचडीएफसी बैंक द्वारा कार्ड-सदस्य को उपलब्ध कराई गई विशिष्ट सेवाओं के लिए या कार्ड-सदस्य द्वारा अपने कार्ड खाते के संदर्भ में की गई चूक के लिए कार्ड-सदस्यों द्वारा देय होंगे।

(ii) एचडीएफसी बैंक ग्राहक को उचित सूचना देकर समय-समय पर किसी भी शुल्क या फीस में परिवर्तन करने या नए शुल्क या फीस लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

अपने विवेकानुसार, बैंक अपने आंतरिक दिशा-निर्देशों और बैंक की नीति के अधीन, केस-टू-केस आधार पर कार्ड पर स्वीकृत क्रेडिट सीमा से अधिक के लेनदेन को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2. उधारी अवधि

क्रेडिट अवधि 15 से 50 दिनों तक हो सकती है, जो विशिष्ट क्रेडिट कार्ड पर लागू योजना पर निर्भर करती है (कृपया शुल्क अनुसूची देखें)। हालाँकि,

यदि पिछले महीने की शेष राशि का पूरा भुगतान नहीं किया गया है, तो यह योजना लागू नहीं होती है।

उदाहरण के लिए, एचडीएफसी बैंक इंटरनेशनल प्लैटिनम प्लस कार्ड की ब्याज-मुक्त क्रेडिट अवधि 45 दिनों तक है। इसका मतलब है कि जिस ग्राहक की बिलिंग तिथि हर महीने की 5 तारीख है, वह 6 अप्रैल से 5 मई तक अपने कार्ड से खर्च कर सकता है, उसका बिल 5 मई को बनेगा और भुगतान की अंतिम तिथि 20 मई होगी। इस प्रकार, 11 अप्रैल को की गई खरीदारी की क्रेडिट अवधि 40 दिनों की होगी, जबकि 2 मई को की गई खरीदारी की क्रेडिट अवधि 19 दिनों की होगी। यह अवधि ब्याज मुक्त तभी होगी जब सभी पिछली बकाया राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया हो।

यूटिलिटी कार्डों के लिए: व्यापारी द्वारा दावा प्रस्तुत करने के अधीन, क्रेडिट अवधि 10 से 40 दिनों तक हो सकती है। हालाँकि, यह योजना उन मामलों में लागू नहीं होती जहाँ पिछले महीने का पूरा बकाया नहीं चुकाया गया हो।

सीमाएँ

कार्डधारक की क्रेडिट सीमा और नकद निकासी की सीमा एचडीएफसी बैंक अपने विवेकानुसार निर्धारित करेगा। ये सीमाएँ कार्डधारक को कार्ड की डिलीवरी के समय और आवधिक विवरण में बताई जाती हैं। उपलब्ध क्रेडिट सीमा आवधिक विवरण के एक भाग के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। अपनी क्रेडिट सीमा बढ़ाने की इच्छुक कंपनियाँ बैंक को पत्र लिखकर और अपनी आय तथा कार्डधारक की क्रेडिट सीमा की घोषणा करते हुए संबंधित वित्तीय दस्तावेज़ उपलब्ध कराकर ऐसा कर सकती हैं। बैंक अपने विवेकानुसार और उपलब्ध कराए गए ऐसे नए दस्तावेज़ों के आधार पर, कार्डधारक की क्रेडिट सीमा बढ़ा सकता है।

वित्तीय शुल्क

है, तो लेनदेन की तिथि से सभी लेनदेन पर मासिक प्रतिशत दर पर वित्त प्रभार देय होगा, तथा कार्ड-सदस्य द्वारा लिए गए सभी नकद, अग्रिमों पर, जब तक उनका भुगतान नहीं कर दिया जाता, तब तक वित्त प्रभार देय होगा। वित्त शुल्क,

यदि देय हो, कार्ड सदस्य के खाते से तब तक डेबिट किया जाता है जब तक कि कार्ड पर बकाया राशि का पूर्ण भुगतान नहीं कर दिया जाता है।

B.

जब ग्राहक कोई बकाया राशि आगे बढ़ाता है, तो औसत दैनिक शेष विधि से गणना किया गया वित्तीय शुल्क अग्रेषित शेष और नई बिलिंग पर लागू होगा।

C.

कॉरपोरेट को जारी किए गए कमर्शियल क्रेडिट कार्ड अगले विवरण तिथि तक पूर्ण भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में ब्लॉक कर दिए जाएंगे।

D.

यदि कार्डधारक एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड की घूमती उधारी सुविधा का उपयोग करता है और मासिक विवरणी में दर्शाए गए कुल देय राशि से कम राशि का भुगतान करना चुनता है, तो पूरी बकाया राशि पर तब तक वित्तीय शुल्क लगेगा जब तक पिछली बकाया राशि पूरी तरह चुका नहीं दी जाती।

E.

यदि न्यूनतम देय राशि भुगतान नियत तिथि तक अदा नहीं की जाती है तो विलंब भुगतान शुल्क लागू होगा। विलंब शुल्क से बचने के लिए भुगतान नियत तिथि तक स्पष्ट निधि एचडीएफसी बैंक कार्ड खाते में जमा हो जानी चाहिए। विलंब भुगतान शुल्क इस प्रकार लागू होगा:

25 जुलाई, 2022 से प्रभावी, विलंब शुल्क निम्नानुसार लागू होगा

| बकाया शेष | विलंबित भुगतान शुल्क (या से प्रभावी 25 जुलाई, 2022) |
|--------------------------|---|
| ₹100 से कम | शून्य |
| ₹100/- to ₹500/- | ₹100/- |
| ₹501/- to ₹5,000/- | ₹500/- |
| ₹5,001/- to ₹10,000/- | ₹600/- |
| ₹25,000 से अधिक | ₹750/- |

निम्नलिखित उदाहरण विभिन्न शुल्कों की गणना की विधि को दर्शाएगा।

मान लीजिए कि आपने अपनी पिछली सभी देनदारियाँ पूरी तरह चुका दी हैं और आपके कार्ड खाते में कोई बकाया राशि नहीं है। आपकी विवरणी तिथि हर महीने की 05 तारीख है।

निम्नलिखित आपकी नियमित क्रय कार्ड खाते पर किए गए लेन-देन की सूची है।

| तारीख | लेनदेन विवरण | राशि |
|-----------|-----------------|--|
| 02 अप्रैल | माल की खरीद | ₹10,000/- |
| 05 अप्रैल | विवरणी की तिथि | कुल देय राशि (TAD) = ₹10,000/- (न्यूनतम देय राशि 100% की कुल देय राशि) |
| 25 अप्रैल | माल की खरीद | ₹20,000/- |
| 05 मई | विवरणी की तिथि | कंपनी को जारी किए गए सभी कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे यदि कुल देय राशि (इस मामले में ₹10,000/-) प्राप्त नहीं होती है। |

05 मई के विवरण में, देय कुल राशि के घटकों के रूप में निम्नलिखित को दर्शाया जाएगा

गणना की गई ब्याज की राशि = (बकाया राशि x 2.95% * x 12 महीने x दिनों की संख्या) / 365.

- (1) 6 अप्रैल से 5 मई तक (यानी 30 दिनों के लिए) ₹10,000 पर 2.95% प्रति माह (यानी 35.4% प्रति वर्ष) ब्याज = ₹290.96/-
- (2) 25 अप्रैल से 5 मई तक (अर्थात 11 दिनों के लिए) ₹20,000 पर 2.95% प्रति माह (अर्थात 35.4% प्रति वर्ष) ब्याज = ₹213.37/- कुल ब्याज = ₹290.96/- + ₹213.37/- = ₹504.33/-
- (3) विलम्बित भुगतान पर प्रभार = ₹600/-
- (4) ब्याज और विलम्बित भुगतान प्रभार पर 18% जीएसटी = ₹198.78/-
- (5) कुल मूल बकाया राशि = ₹20,000 (₹10,000 नए खर्च + पिछले महीने की बिलिंग अवधि से बकाया शेष ₹30,000)

इसलिए कुल देय राशि = (2) + (3) + (4) + (5) =

₹31,303.11/-

कृपया ध्यान दें:

न्यूनतम देय राशि (MAD), (WEF जून 2025)

यदि (वित्त शुल्क + खुदरा खर्च + नकद अग्रिम) का 30% वित्त शुल्क से अधिक है, तो: MAD = कुल GST + EMI राशि + शुल्क/शुल्क का 100% + (वित्त शुल्क + खुदरा खर्च + नकद अग्रिम) का 30% + ओवरलिमिट राशि* (यदि कोई हो)। **कृपया दृष्टांत 1 देखें**

यदि (वित्त शुल्क + खुदरा खर्च + नकद अग्रिम) का 30% वित्त शुल्क से कम है, तो: MAD = कुल GST + EMI राशि + शुल्क/शुल्क का 100% + वित्त शुल्क का 100% + (खुदरा खर्च + नकद अग्रिम) का 30% + ओवरलिमिट राशि* (यदि कोई हो)। **कृपया दृष्टांत 2 देखें।**

उदाहरण:

जून 25 के बाद से

| दृष्टांत 1 (आंकड़े ₹ में) | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------|
| क | खुदरा / नकद बकाया शेष | 10,000 |
| ख. | वित्त प्रभार | 2,000 |
| ग | शुल्क और प्रभार | 300 |
| घ | विवरणी में कुल जीएसटी | 414 |
| | कुल देय राशि | 12,714 |

यह मानते हुए कि कार्डधारक विवरण अवधि के दौरान कोई व्यय लेनदेन नहीं करता है, न्यूनतम देय राशि (MAD) की गणना नीचे दिए अनुसार की जाएगी:

30% (वित्त प्रभार + खुदरा व्यय + नकद अग्रिम) 30% (10,000+2,000) = ₹3,600। चूँकि ₹3,600 रु., वित्त शुल्क ₹2,000 से अधिक है, इसलिए निम्न गणना लागू होगी।

| न्यूनतम देय राशि की गणना | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------|------|
| क | खुदरा / नकद बकाया शेष | 3,600 | 30% |
| ख. | वित्त प्रभार | | 30% |
| ग | शुल्क और प्रभार | 300 | 100% |
| घ | विवरणी में कुल जीएसटी | 414 | 100% |
| | न्यूनतम देय राशि | 4,314 | |

1 जून 25 से

| दृष्टांत 1 (आंकड़े ₹ में) | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------|
| क | खुदरा / नकद बकाया शेष | 10,000 |
| ख. | वित्त प्रभार | 4,800 |
| ग | शुल्क और प्रभार | 300 |
| घ | विवरणी में कुल जीएसटी | 918 |
| | कुल देय राशि | 16,018 |

यह मानते हुए कि कार्डधारक विवरण अवधि के दौरान कोई व्यय लेनदेन नहीं करता है, न्यूनतम देय राशि (MAD) की गणना नीचे दिए अनुसार की जाएगी:

30% (वित्तीय शुल्क + खुदरा व्यय + नकद अग्रिम) 30% (10,000+4,800) = ₹4,440. चूँकि ₹4,440, वित्त शुल्क से ₹4,800 कम है, इसलिए निम्नलिखित गणना लागू होगी।

| न्यूनतम देय राशि की गणना | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------|------|
| क | खुदरा / नकद बकाया शेष | 7,800 | 30% |
| ख. | वित्त प्रभार | | 100% |
| ग | शुल्क और प्रभार | 300 | 100% |
| घ | विवरणी में कुल जीएसटी | 918 | 100% |
| | न्यूनतम देय राशि | 9,018 | |

नीचे दिया गया उदाहरण इस धारणा के आधार पर तैयार किया गया है कि ग्राहक ने समय पर भुगतान नहीं किया है और न ही कुल देय राशि (TAD) चुकाई है।

की गणना करने की विधि को इंगित करने हेतु उदाहरण निम्नलिखित है (LPC)

| एलपीसी (LPC) का उदाहरण | | |
|------------------------|---|----------|
| क | विवरणी की तिथि | 1 मई 22 |
| ख. | देय विवरण | 25,000 |
| ग | MAD (केवल परचेज प्रीमियम, परचेज मनीबैंक और डीलर्स कार्ड के लिए) | 7,500 |
| घ | बिलिंग देय तिथि | 20 मई 22 |
| ड. | रियायत तिथि | 23 मई 22 |
| च | बिना बिल का उपयोग - 1 मई से 23 मई 22 तक | 5,000 |
| छ | दिनांक 23 मई 22 तक कुल बकाया (क+ड.) | 30,000 |

| | | |
|---|---|----------|
| ज | प्राप्त भुगतान - MAD - ₹.7500.00 | 25 मई 22 |
| झ | केवल विवरण शेष परएलपीसी लगाया गया है | 750 |

5. बिलिंग विवरण

A. एचडीएफसी बैंक कार्डधारक/कॉरपोरेट को आवधिक विवरण भेजेगा जिसमें पिछले विवरण के बाद से खाते में जमा किए गए भुगतान और किए गए लेनदेन दर्शाए जाएंगे। बैंक कार्ड खाते का लेनदेन विवरण आवधिक रूप से बैंक के अभिलेखों में दर्ज डाक पते/ई-मेल पते पर डाक / ई-मेल द्वारा भेजेगा।

B. परचेज कार्ड्स: भुगतान की अंतिम तिथि विवरण तिथि के 15 दिन बाद होती है। उदाहरण: यदि विवरण 5 तारीख को तैयार होता है तो भुगतान की अंतिम तिथि महीने की 20 तारीख होगी। यूटिलिटी कार्ड्स: भुगतान की अंतिम तिथि विवरण तिथि के 10 दिन बाद होती है। उदाहरण: यदि विवरण 20 तारीख को तैयार होता है तो भुगतान की अंतिम तिथि महीने की 30 तारीख होगी। कृपया ध्यान दें: यूटिलिटी, परचेज प्रीमियम और परचेज मनीबैंक कार्ड्स के लिए विवरण हर 30 दिन में तैयार किया जाएगा। यूटिलिटी कार्ड के लिए भुगतान की अंतिम तिथि विवरण के 10 दिन बाद होगी।

इसी प्रकार परचेज मनीबैंक और प्रीमियम कार्ड के लिए भुगतान की अंतिम तिथि विवरण तिथि के 20 दिन बाद होगी।

C. कार्डधारकों/कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे भुगतान की नियत तिथि से काफी पहले स्थानीय चेक जमा कर दें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भुगतान नियत तिथि के भीतर कार्ड खाते में आ जाए।

कृपया ध्यान दें: यदि पिछले विवरण शेष का पूर्ण भुगतान अगली विवरण तिथि तक प्राप्त नहीं होता है, तो कॉरपोरेट को जारी सभी कमर्शियल कार्ड (परचेज प्रीमियम और डीलर कार्ड को छोड़कर) ब्लॉक कर दिए जाएंगे।

D. कार्ड बकाया के लिए किए गए भुगतान की राशि को बाद के विवरणों में स्वीकार किया जाता है।

E. कार्डधारक के कार्ड बकाया के विरुद्ध प्राप्त भुगतान को सभी पूर्व-समापन ऋणों

F.

(ऋण मूल बकाया / पूर्व-समापन शुल्क + जीएसटी), जीएसटी, शुल्क और प्रभार (वित्त प्रभार के अलावा), वित्त प्रभार, ईएमआई, नकद अग्रिम और खुदरा खरीद के विरुद्ध उसी क्रम में समायोजित किया जाएगा।

देय न्यूनतम राशि: न्यूनतम देय राशि: यदि वित्त प्रभार > (खुदरा खर्च का 30% + वित्त प्रभार का 30%) तो MAD = कुल GST + शुल्क/प्रभार का 100% + वित्त प्रभार का 100% + खुदरा खर्च का 30% और अगले उच्चतर 10वें अंक तक पूर्णांकित। यदि वित्त प्रभार > (खुदरा खर्च का 30% + वित्त प्रभार का 30%) तो MAD = कुल GST + शुल्क/प्रभार का 100% + वित्त प्रभार का 30% (यदि कोई हो) + [खुदरा खर्च (यदि कोई हो)] का 30% + ओवरलिमिट राशि (यदि कोई हो) और अगले उच्चतर 10वें अंक तक पूर्णांकित।

हालांकि,

- ऐसे मामलों में जहां उपर्युक्त विवरण के अनुसार एमएडी मूल्य की गणना 200 रुपये से कम या उसके बराबर होती है, तो एमएडी मूल्य 200/- रुपये के रूप में लिया जाएगा।
- जहां कुल देय राशि (TAD) का विवरण मूल्य 200 रुपये और उससे कम है, एमएडी टीएडी के बराबर होगा।

G. **भुगतान की विधि:** निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से कार्ड खाते में भुगतान किया जा सकता है:

(i) चेक/डिमांड ड्राफ्ट: भुगतान साधन (चेक या ड्राफ्ट) को HDFC बैंक शाखाओं और ATM में रखे गए किसी भी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड ड्रॉप बॉक्स में डालकर भुगतान किया जा सकता है। चेक ड्राफ्ट HDFC बैंक कार्ड नंबर xxxx xxxx xxxx xxxx पर देय होना चाहिए। इस बात की कृपया सुनिश्चित करें कि HDFC बैंक चेक के मामले में चेक/ड्राफ्ट देय तिथि से कम से कम 3 कार्य दिवस पूर्व और गैर-HDFC बैंक चेक के लिए देय तिथि से 5 कार्य दिवस पूर्व जमा किया गया हो।

(ii) एचडीएफसी खाते पर स्थायी निर्देश (स्वतः डेबिट): यदि कार्डधारक के पास एचडीएफसी बैंक खाता है, तो वे स्थायी निर्देश सुविधा का विकल्प चुन सकते हैं, जहाँ भुगतान की नियत तिथि पर कार्डधारक के एचडीएफसी बैंक खाते से देय तिथि पर कार्डधारक के कार्ड खाते में राशि जमा हो जाएगी।

भुगतान की देय तिथि पर कार्डधारक के नामांकित पंजीकृत खाते से स्वचालित डेबिट प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और कार्ड खाते में जमा हो जाएगी। भुगतान पहले प्रयास में प्राप्त न होने की स्थिति में, भुगतान प्राप्त तक पुनः प्रयास किए जाएंगे। कार्डधारक द्वारा निर्धारित पूर्ण स्थायी निर्देश (SI) राशि प्राप्त न होने की स्थिति में, कई भुगतान प्रयासों के बाद कार्डधारक से शुद्ध देय राशि पर एसआई वापसी शुल्क लगाया जाएगा। कार्डधारक स्वीकार करता है और सहमत है कि कुल देय राशि (TAD) और उसके बाद न्यूनतम देय राशि (MAD) एकत्र करने में विफलता के परिणामस्वरूप भुगतान की देय तिथि पर बकाया और शेष शुद्ध देय राशि पर ऑटोपे वापसी शुल्क लगाया जाएगा।

उदाहरण:

परिदृश्य 1: कार्ड-सदस्य कुल देय राशि (TAD) पर SI की सुविधा का विकल्प चुनता है और SI राशि ₹10,000 है और नामांकित खाते में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण सिस्टम केवल ₹3000 (न्यूनतम देय राशि) वसूल करता है तो भुगतान वापसी शुल्क निवल देय राशि अर्थात् ₹10,000 - ₹3000 = ₹7000. पर लगाया जाएगा। इसी तरह, यदि सिस्टम केवल आंशिक राशि वसूल करने में सक्षम है, उदाहरण के लिए, ₹2000 जो कि न्यूनतम देय राशि (MAD) से कम है, तो भुगतान वापसी शुल्क निवल देय राशि अर्थात् ₹10,000 - ₹2000 = ₹8000 पर लगाया जाएगा।

परिदृश्य 2: कार्ड-सदस्य कुल देय राशि (TAD) पर SI की सुविधा का विकल्प चुनता है और SI राशि ₹10000 है। यदि आंशिक भुगतान प्राप्त होता है तो उदाहरण के लिए, भुगतान देय तिथि से पूर्व ₹2000 और बाद में स्थायी निर्देश सुविधा

विफल हो जाती है, तो भुगतान वापसी शुल्क निवल देय राशि अर्थात्, ₹10000 - ₹2000 = ₹8000 पर लगाया जाएगा।

(iii) **बिल डेस्क:** यदि कार्ड-सदस्य के पास एचडीएफसी बैंक खाता नहीं है, तो कार्ड-सदस्य अन्य बैंक खाते का उपयोग करके बिल डेस्क सुविधा के माध्यम से भुगतान कर सकता है। नेट बैंकिंग खाता

(iv) a. **नेट बैंकिंग और ATM:** यदि कार्डधारक के पास HDFC बैंक खाता है, तो वे नेटबैंकिंग और ATM के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। या फोन बैंकिंग
b. **NEFT/RTGS/IMPS:** ग्राहक अन्य बैंक खाते (IFSC कोड HDFC0000128 का उपयोग करें) से NEFT/RTGS फंड ट्रांसफर मोड के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं या VISA मनी ट्रांसफर सुविधा/आईएमपीएस का उपयोग करें।
c. **मोबाइल बैंकिंग-** मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉग इन करें, अपनी क्रेडेंशियल दर्ज करें, अपना कार्ड चुनें और अपना भुगतान पूरा करने के लिए पुष्टि करें।
(v) **अस्वीकरण** - कृपया बैंक द्वारा प्रधिकृत माध्यमों के अलावा अन्य माध्यमों से भुगतान करने से बचें।

अधिकृत हस्ताक्षरी को क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल को कम से कम एक बार संशोधित करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा, इसके लिए उन्हें कॉर्पोरेट असिस्ट टीम को इस पर अनुरोध भेजना होगा: corporateassist@hdfcbank.com

(vi) बैंक कार्ड PIN/कोड जारी करने के दौरान अपनी ओर से समुचित सावधानी बरतेगा और बैंक ग्राहक/कार्डधारक के किसी भी गोपनीय डेटा को केवल उक्त ग्राहक/कार्डधारक के साथ साझा करना सुनिश्चित करेगा।

H. यदि कार्डधारक विवरण की नियत तिथि से 30 दिनों के भीतर एचडीएफसी बैंक को लिखित रूप में विसंगतियों की सूचना नहीं देता है, तो विवरण की सभी सामग्री सत्य मानी जाएगी और उसी रूप में स्वीकार की जाएगी। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, एचडीएफसी बैंक जाँच लंबित रहने तक अस्थायी आधार पर लगाए गए शुल्क वापस ले सकता है। यदि, बाद की जाँच पूरी होने पर, ऐसे शुल्कों की देयता कार्डधारक के खाते में पाई जाती है, तो शुल्क को अगले विवरण में पुनः जोड़ दिया जाएगा। संबंधित पुनर्प्राप्ति अनुरोध शुल्क ग्राहक से विवाद की प्राप्ति के मामले में, अधिकतम तीस दिनों की अवधि के भीतर, बैंक आवश्यक दस्तावेज, जहां भी लागू हो,

सदस्य बैंक को संबंधित फ्रेंचाइजी द्वारा निर्धारित परिचालन दिशानिर्देशों के अधीन प्रदान करेगा, जैसे वीजा / मास्टर कार्ड / डायनर्स क्लब / रुपये, आदि

I. जब किसी कार्ड सदस्य को कार्ड पर पहले किए गए किसी लेनदेन के लिए व्यापारी धनवापसी प्राप्त होता है, तो इसकी प्राप्ति पर उसे कार्ड खाते में जमा कर दिया जाएगा। जो पिछले विवरण शेष / बिल किए गए बकाया में समायोजित किया जाएगा। यदि उक्त रिफंड की राशि अंतिम स्टेटमेंट शेष/बिल बकाया से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि अंतिम स्टेटमेंट शेष/बिल बकाया के विरुद्ध समायोजन के बाद आपके खाते में वापस कर दी जाएगी, बशर्ते कि उक्त मर्चेट रिफंड अंतिम स्टेटमेंट तिथि से पहले किए गए लेनदेन से उत्पन्न हो। यदि आपने ऐसे क्रेडिट के लिए अपना खाता नंबर नहीं दिया है, तो कृपया डीडी जारी करने के लिए फ़ोनबैंकिंग पर कॉल करें या खाता नंबर अपडेट करने के लिए हमारी नज़दीकी शाखा में जाएँ। कृपया माई-कार्ड्स एप्लिकेशन के माध्यम से लॉगिन करें और अपना खाता नंबर अपडेट करें या खाता नंबर अपडेट करने के लिए हमारी निकटतम शाखा में जाएँ।

यदि प्राप्त व्यापारी धनवापसी अंतिम विवरण तिथि के बाद किए गए हाल के लेनदेन से संबंधित है, तो प्राप्त धनवापसी कार्ड खाते में जमा किया जाएगा और मूल लेनदेन के विरुद्ध इसे समायोजित किया जाएगा। कार्ड खाते में जमा किए गए ऐसे क्रेडिट, जिनमें वापस किए गए सामान या सेवाओं या रद्द किए गए लेनदेन से उत्पन्न क्रेडिट शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, कम/उलट/समायोजित किए जाएंगे

रिवार्ड पॉइंट/कैशपॉइंट को भुनाकर प्राप्त किए गए ई वाउचर को रद्द करने की स्थिति में, रिवार्ड पॉइंट/कैशपॉइंट की बहाली, यदि बैंक के विवेक पर अनुमति दी जाती है, तो उसी दर पर दी जाएगी जिस पर ई वाउचर भुनाए गए थे।

J. संपर्क विवरण: कार्डधारक किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने या

शिकायत निवारण के लिए एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड्स से संपर्क कर सकते हैं

24 घंटे ग्राहक सेवा कॉल सेंटर – फोन नंबरों की विस्तृत सूची इस दस्तावेज़ के अंत में और आवधिक विवरणियों के पीछे उपलब्ध है।

By e-mail: corporateassist@hdfcbank.com

डाक द्वारा – प्रबंधक, एचडीएफसी बैंक कार्ड्स डिवीजन, पी.ओ. बॉक्स. 8654, अंबतूर इंडस्ट्रियल एस्टेट, पी.ओ., चेन्नई - 600058.

K. अधिकृत हस्ताक्षरी को क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल को संशोधित करने का एक बार का विकल्प प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए वे corporateassist@hdfcbank.com पर कॉरपोरेट असिस्ट टीम को अनुरोध भेज सकते हैं।

6. डिफॉल्ट

डिफॉल्ट झाल्यास, कार्ड सदस्याला कार्ड खात्यावरील कोणत्याही थकबाकीची पुर्तता करण्यासाठी वेळोवेळी स्मरणपत्रे पाठवली जातील, पोस्ट, फॅक्स, टेलिफोन, ई-मेल, एसएमएस संदेशाद्वारे आणि/किंवा तृतीय पक्षांना आठवण करून देण्यासाठी, पाठपुरावा करण्यासाठी गुंतवून ठेवतील. आणि थकबाकी गोळा करा. अशा प्रकारे नियुक्त केलेला कोणताही तृतीय पक्ष कर्ज वसुलीच्या आचारसंहितेचे पूर्णपणे पालन करेल. जर कार्डधारक प्रत्येक मासिक बिलिंग स्टेटमेंट अंतर्गत, किमान देय रक्कम किंवा एकूण देय रक्कम भरण्यात अयशस्वी झाल्यास, बँक कार्डवर तात्पुरता ब्लॉक ठेवेल आणि अशा न भरल्याबद्दल ग्राहकाला सूचित करेल आणि त्याचा अहवाल देण्याचा त्याचा हेतू असेल. जर कार्डधारक किमान देय रक्कम किंवा 7 च्या आत एकूण देय रक्कम भरू शकला नाही तर कार्डधारक क्रेडिट माहिती कंपन्यांना (CIC) डिफॉल्टर म्हणून (सात) दिवस. यदि कार्डधारक 7 (सात) दिनों की सूचना अवधि समाप्त होने के बाद न्यूनतम देय राशि या कुल देय राशि का भुगतान करता है, तो बैंक बकाया राशि के निपटान की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर स्थिति को अद्यतन करेगा। यदि ग्राहक द्वारा किसी लेनदेन पर विवाद किया जाता है, तो शेष राशि के बराबर राशि

खात्यात ग्राहकाने विवादित रकमेच्या समतुल्य तात्पुरते क्रेडिट प्रदान केले जाईल.

7. ग्रहणाधिकार का अधिकार

बँक को, कभी भी और बिना किसी पूर्व सूचना के, उस कॉर्पोरेट के नाम से बँक में रखी किसी भी खाता/अमानत में उपलब्ध सभी धनराशि पर ग्रहणाधिकार (लियन) और समायोजन (सेट-ऑफ) का अधिकार होगा, यदि बँक द्वारा मांग करने पर भी कार्ड खाते का बकाया राशि निर्धारित समय सीमा के भीतर चुकाई नहीं जाती है।

8. कार्ड सदस्यता की समाप्ति / निरसन

A. कॉर्पोरेट के अधिकृत हस्ताक्षरी कभी भी HDFC बैंक को निम्न पते पर पत्र लिखकर कार्ड सदस्यता समाप्त कर सकते हैं: प्रबंधक, HDFC बैंक कार्ड्स डिवीजन, पी.ओ. बॉक्स 8654, अम्बत्तूर इंडस्ट्रियल एस्टेट, पी.ओ., चेन्नई 600058... इस पत्र के साथ कार्ड को तिरछा काटकर टुकड़ों में करके भेजना होगा। अथवा अधिकृत हस्ताक्षरी के ईमेल आईडी से alternate खाता संख्या सहित corporateassist@hdfcbank.com पर ईमेल भेज सकते हैं। समाप्ति तभी प्रभावी मानी जाएगी जब काटे गए कार्ड, corporateassist@hdfcbank.com पर भेजा गया ईमेल और कार्ड खाते से संबंधित सभी बकाया राशि का भुगतान बैंक को प्राप्त हो जाएगा।

इस तरह के बीमा कवर के अधिक विवरण और निबंधन और शर्तों के लिए कृपया हमारे बैंक प्रतिनिधि से संपर्क करें।

| चैनल | मार्ग / संपर्क विवरण |
|----------------------|---|
| व्हाट्सएप बैंकिंग | 70700 22222 > क्लोज क्रेडिट कार्ड टाइप करें > हॉटलिस्टिंग के लिए विकल्प प्रदर्शित होगा |
| फोन बैंकिंग / आईवीआर | 1800 1600 / 1800 2600 (पूरे भारत में उपलब्ध) |
| EVA | www.hdfcbank.com पर जाएं > EVA आइकन पर क्लिक करें > क्रेडिट कार्ड सेवा > कार्ड ब्लॉक करें |
| Email | Corporateassist@hdfcbank.com |

कृपया इस बात का ध्यान दें कि यदि क्रेडिट कार्ड का उपयोग लगातार 1 (एक) वर्ष तक नहीं किया गया है, तो बैंक कार्डधारक को कार्ड के उपयोग न करने के बारे में सूचित करेगा और कार्डधारक से अनुरोध करेगा कि वह ऐसी सूचना की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर कार्ड का उपयोग शुरू कर दे।

कार्डधारक से इस बारे में यदि कोई उत्तर नहीं प्राप्त होता है या कार्डधारक 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर कार्ड का उपयोग शुरू नहीं करता है, तो बैंक द्वारा कार्ड खाता बंद कर दिया जाएगा, जो कार्डधारक द्वारा सभी बकाया राशि का भुगतान किया जाने के अधीन होगा।

B. HDFC बैंक यह भी कर सकता है कि वह किसी भी समय, बिना पूर्व सूचना के, क्रेडिट कार्ड के उपयोग को प्रतिबंधित, समाप्त या निलंबित कर दे, यदि बैंक को व्यवसाय या सुरक्षा कारणों से ऐसा करना उचित लगे। यदि कॉर्पोरेट द्वारा देय भुगतान में चूक होती है या स्वीकृत क्रेडिट सीमा पार हो जाती है, तो एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड सुविधा को निलंबित कर सकता है। अनुबंध समाप्त होने के बाद या कार्ड खाता निलंबित होने की स्थिति में कार्ड का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

C. ऐसी स्थिति में, कॉर्पोरेट को (किसी भी चूक या कानून द्वारा अपेक्षित अन्य नोटिस के अधीन) एचडीएफसी बैंक को कार्ड खाते पर कुल बकाया राशि का तुरंत भुगतान करना होगा। इसमें करार के तहत एचडीएफसी बैंक को देय सभी राशियाँ शामिल हैं, जिसमें सभी लेन-देन और अन्य राशियाँ शामिल हैं जो अभी तक खाते पर लगाया नहीं गया है। कार्ड को तब तक बंद नहीं माना जाएगा जब तक कि कॉर्पोरेट ऐसी सभी देय राशियों का भुगतान नहीं कर देता।

D. कार्ड बंद होने से पहले कार्डधारक द्वारा किए गए किसी भी लेन-देन को, यदि व्यापारी द्वारा बाद में प्रस्तुत / दावा किया जाता है, तो ऐसे लेन-देन के लिए आवश्यक भुगतान करने हेतु कार्डधारक को बिल किया जाएगा। कार्डधारक पर यह बाध्यता होगी कि वह कार्ड बंद होने की तिथि से पूर्व किए गए सभी लेन-देन का भुगतान करे। यदि कार्डधारक द्वारा यह बकाया भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक इस बकाया राशि की जानकारी क्रेडिट सूचना कंपनियों (CICs) को देगा।

E. क्रेडिट कार्ड पर किसी भी धोखाधड़ी वाले लेनदेन की स्थिति में उत्पन्न होने वाली देनदारी को कवर करने के लिए, कार्ड सदस्यों द्वारा अपने विवेक पर एक वैकल्पिक बीमा उत्पाद का लाभ उठाया जा सकता है। इस तरह के बीमा कवर के अधिक विवरण और निबंधन और शर्तों के लिए कृपया हमारे बैंक प्रतिनिधि से संपर्क करें।

F. कार्डधारक की मृत्यु या अक्षम होने की स्थिति में, दिवालियापन

/विलयन/दिवाला घोषित होना या किसी कॉर्पोरेट निकाय का समाप्त होना होने पर उस कार्डधारक को जारी किया गया कार्ड स्वतः रद्द हो जाएगा। किसी सरकारी या नियामक निकाय के निर्देश पर भी कार्ड खाता निलंबित किया जा सकता है। कार्ड खाते पर बकाया सभी राशियाँ मृत्यु या अक्षम होने, दिवालियापन, दिवाला, कॉर्पोरेट निकाय के समाप्त होने या सरकारी/नियामक निकायों के निर्देश के साथ ही तत्काल देय मानी जाएँगी और बैंक इन्हें लागू प्रचलित कानूनों के अनुसार वसूलने का हकदार होगा, और इसके बावजूद भी कार्डधारक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सभी बकाया राशि तुरंत चुका दे।

9. कार्ड के खोने/चोरी होने/दुरुपयोग

ग्राहक संरक्षण:

कार्ड के खोने/चोरी होने/दुरुपयोग होने की स्थिति में, बैंक को बैंक की वेबसाइट पर अपडेट की गई 'ग्राहक सुरक्षा नीति' द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जिसे समय-समय पर अपडेट किए गए ग्राहक सुरक्षा - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करने पर RBI परिपत्र के आधार पर तैयार किया गया है। (RBI परिपत्र संदर्भ DBR. संख्या लेग. बीसी.78/09.07.2005/2017-18 दिनांक 6 जुलाई, 2017)

कृपया ध्यान दें कि आप www.hdfcbank.com > उपयोगी लिंक > हमारी कॉर्पोरेट प्रतिबद्धताएँ > ग्राहक प्रतिकर नीति पर जाकर ग्राहक सुरक्षा नीति नोट देख सकते हैं।

यदि ग्राहक को किसी भी अनधिकृत लेन-देन पर संदेह हो, तो ग्राहक को आगे कोई अनधिकृत लेन-देन या दुरुपयोग रोकने के लिए कार्ड को ब्लॉक कराने हेतु निम्नलिखित माध्यमों से बैंक को तुरंत सूचना देनी चाहिए।

A. कार्ड के खो जाने/चोरी हो जाने/दुरुपयोग होने की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया- कार्ड जारीकर्ता को सूचना देने की विधि: कार्ड के खो जाने/चोरी/दुरुपयोग की स्थिति में, ग्राहक नीचे दिए गए चैनलों के माध्यम से अनुरोध करके कार्ड को तुरंत हॉटलिस्ट/ब्लॉक कर सकता है कार्डधारक तुरंत नीचे दिए गए माध्यमों से अनुरोध कर कार्ड को हॉटलिस्ट/ब्लॉक करवा सकते हैं।

| चैनल | मार्ग / संपर्क विवरण |
|---------------------------|---|
| नेटबैंकिंग | नेटबैंकिंग मुख्यपृष्ठ > लॉग इन > क्रेडिट कार्ड्स > आपल्या क्रेडिट कार्ड्समधून कार्ड निवडा > ब्लॉक करा |
| मोबाइल बैंकिंग | मोबाइल बैंकिंग होम पेज > भुगतान > क्रेडिट कार्ड > अपने क्रेडिट कार्ड से कार्ड चुनें > ब्लॉक करें |
| मायकार्ड्स-पीडब्ल्यूए | मायकार्ड्समध्ये लॉग इन करा > कार्ड मुख्यपृष्ठ > सेवा > सुरक्षा > हॉटलिस्ट |
| व्हाट्सएप बैंकिंग | 70700 22222 > क्लोज क्रेडिट कार्ड टाइप करें > हॉटलिस्टिंग के लिए विकल्प प्रदर्शित होगा |
| फोन बैंकिंग / आईवीआर | 1800 1600 / 1800 2600 (पूरे भारत में उपलब्ध) |
| EVA | www.hdfcbank.com पर जाएं > EVA आइकन पर क्लिक करें > क्रेडिट कार्ड सेवा > कार्ड ब्लॉक करें |
| एसएमएस | 7308080808 पर "ब्लॉक सीसी ****" एसएमएस करें |
| कॉर्पोकार्ड असिस्ट पोर्टल | क्लिक करें टोटल कार्ड्स > आवश्यक वैकल्पिक खाता क्रमांक चुनें > कार्ड ब्लॉक/क्लोज पर क्लिक करें > ब्लॉक प्रकार चुनें > कारण दर्ज करें > सबमिट करें |

उपर्युक्त चैनलों के माध्यम से एक बार अनुरोध किए जाने के पश्चात, कार्ड के माध्यम से तत्काल प्रभाव से कोई भी लेनदेन नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा।

A. यदि प्राथमिक कार्ड या कोई अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है, खो गया है, चोरी हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, नियत समय पर प्राप्त नहीं हुआ है या यदि उसे संदेह है कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग कार्डधारक की अनुमति के बिना किया जा रहा है, तो कार्डधारक को तुरंत 24 घंटे के कॉल सेंटर को सूचित करना चाहिए। एक बार कार्ड खो जाने की सूचना मिलने के पश्चात, कार्डधारक को बाद में मिलने पर किसी भी परिस्थिति में इसका उपयोग नहीं करना

चाहिए। चूंकि ऐड-ऑन कार्ड प्राथमिक कार्ड खाते पर दी गई एक विस्तारित सुविधा है, इसलिए प्राथमिक कार्ड के खो जाने की सूचना मिलने पर ऐड-ऑन कार्ड अमान्य हो जाता है। इसी तरह, यदि ऐड-ऑन कार्ड खो जाने की सूचना दी जाती है, तो प्राथमिक कार्ड खाता और अन्य ऐड-ऑन कार्ड उपयोग से अमान्य हो जाएंगे।

B. कार्ड खोने की सूचना देने से पूर्व कार्ड खाते पर किए गए किसी भी प्रकार के लेन-देन (ऑनलाइन/भौतिक/संपर्क रहित (टैप और भुगतान या वाईफ़ाई/अन्य) के लिए बैंक उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं है, और इसके लिए पूरी तरह से उत्तरदायी कार्डधारक होगा। कार्ड स्वाइप/ऑनलाइन ई-कॉमर्स लेनदेन व्यापारियों द्वारा PIN/OTP जैसे अतिरिक्त प्रमाणीकरण के बिना संसाधित किया जा सकता है, जब इसे भारत के बाहर स्थित व्यापारियों द्वारा शुरू किया जाता है, क्योंकि उन देशों में यह अनिवार्य नहीं हो सकता है। कार्ड खोने की सूचना देने से पूर्व कार्डधारक सभी लेन-देन के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होता है। बैंक द्वारा कार्ड खोने की उचित सूचना प्राप्त होने के बाद, कार्डधारक की बाद की देयता शून्य हो जाती है। कार्ड खोने या चोरी होने के बारे में HDFC बैंक को सूचित करने के अलावा, कार्डधारक को कार्ड चोरी होने की सूचना पुलिस को देनी चाहिए और पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए तथा पुलिस शिकायत की एक प्रति बैंक को देनी चाहिए।

C. कॉर्पोरेट उस स्थिति में सभी नुकसानों के लिए उत्तरदायी होगा जब किसी व्यक्ति ने कार्ड, पिन या ओटीपी को कार्डधारक/कॉर्पोरेट की सहमति से या बिना सहमति के प्राप्त कर उसका दुरुपयोग किया हो। यदि कार्डधारक ने धोखाधड़ी से कार्य किया है तो कार्डधारक/कॉर्पोरेट सभी नुकसानों के लिए उत्तरदायी होगा। यदि कार्डधारक ने उचित सावधानी नहीं बरती तो कॉर्पोरेट उस कारण होने वाले सभी नुकसानों के लिए उत्तरदायी हो सकता है। कार्डधारक का यह दायित्व है कि वह कार्ड (ऐड-ऑन कार्ड/कार्डों सहित) को सुरक्षित रखने के लिए सभी उचित कदम उठाए तथा PIN, वनटाइम पासवर्ड (OTP) या समय-समय पर जारी किए गए किसी अन्य टोकन/कोड को किसी भी रूप में रिकॉर्ड न करे, जिसे किसी तीसरे पक्ष द्वारा ईमानदारी या बेईमानी से प्राप्त किए

जाने पर पुनः प्राप्त किया जा सके या अन्यथा उस तक पहुंचा जा सके।

D. HDFC बैंक कार्डधारक/कॉर्पोरेट से परामर्श किए बिना, कार्ड या पिन के नुकसान, चोरी या दुरुपयोग से संबंधित कोई भी आवश्यक जानकारी पुलिस या अन्य संबंधित प्राधिकरणों को प्रदान कर सकता है, यदि एचडीएफसी बैंक को वह जानकारी उपयुक्त लगे।

10. इनाम अंक

रिवार्ड पॉइंट्स केवल उनके अर्जन की तारीख से 1 वर्ष तक ही मान्य होते हैं। उदाहरण के लिए: यदि आपने मई 2020 में रिवार्ड पॉइंट्स प्राप्त किए हैं, तो वे मई 2021 में समाप्त हो जाएंगे।

A. यदि क्रेडिट कार्ड का उपयोग 365 दिनों से अधिक समय तक नहीं किया जाता है, तो उपार्जित रिवार्ड पॉइंट्स अमान्य हो जाएंगे।

B. यदि क्रेडिट कार्ड पर बकाया है, पुनर्गठित है, निलंबित है या डिफॉल्ट है या यदि कार्ड खाता धोखाधड़ी से संचालित होने का संदेह है या होने का उचित संदेह है, तो बैंक क्रेडिट कार्ड पर अर्जित रिवार्ड पॉइंट को रद्द करने या निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कार्ड-सदस्य की मृत्यु के समय अर्जित किए गए लेकिन भुनाए नहीं गए रिवार्ड प्वाइंट/कैश प्वाइंट जब्त कर लिए जाएंगे।

C. हॉट लिस्टिंग के कारण यदि क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाता है, अर्थात् खो गया है, चोरी हो गया है, आदि (या) कार्ड वापस कर RTO, अर्थात् कार्डधारक के पता में परिवर्तन आदि होने के कारण वितरित नहीं किया गया है, आदि (या) निवासी कार्ड धारक के पास गैर-निवासी खाता है (या) कार्ड धारक के प्राधिकरण तक कार्ड को निष्क्रिय कर दिया गया है और ब्लॉक प्लेसमेंट से 6 महीने के भीतर इसे पुनः सक्रिय नहीं किया गया है - ऐसे मामलों के लिए कार्ड में अर्जित रिवार्ड प्वाइंट्स रद्द कर दिए जाएंगे।

11. शिकायत निवारण और मुआवजा नीति

प्रथम स्तर के संपर्क बिंदु: पूछताछ / फीडबैक/ शिकायतें। ग्राहक निम्नलिखित चैनलों के माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं:

- ऑनलाइन विवाद समाधान
- हमें कॉल करें
- हमसे मिलें
- हमें लिखें
- हमें ईमेल करें
- अप्राधिकृत ई-लेनदेन की रिपोर्ट करें (आपके द्वारा नहीं किए गए लेन-देन)
- हमसे चैट करें
- क्रेडिट कार्ड ब्लॉक/अनब्लॉक करें

- अपने क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि की जाँच करें
- क्रेडिट कार्ड की गलत बिक्री या उत्पीड़न संबंधी शिकायतें

द्वितीय स्तर के संपर्क बिंदु:

अन्य चैनलों के माध्यम से यदि आपको अपने प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है तो कृपया (शिकायत निवारण अधिकारी) को लिखें। कार्ड-सदस्य किसी भी पूछताछ या किसी शिकायत निवारण के लिए HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से संपर्क कर सकता है:

हमारे कॉल सेंटरों के माध्यम से:

1800 1600/1800 2600 यदि आप भारत में नहीं हैं: +912261606160

डाक के माध्यम से:

हमारे शिकायत निवारण अधिकारी, श्रीमती दीपा बी, HDFC बैंक कार्ड्स डिवीजन, डोर नं. 94 एसपी, एस्टेट बस स्टैंड, वेविन मेन रोड, मगप्पेर वेस्ट, चेन्नई 600058

ईमेल द्वारा:

Grievance.redressalcc@hdfcbank.com

शिकायत निवारण अधिकारी:

सोमवार से शुक्रवार सुबह 09.30 बजे से शाम 05.30 बजे के बीच फ़ोन 04461084900 पर हमसे संपर्क करें

कृपया ध्यान दें कि शिकायत निवारण नीति की प्रणाली और समयसीमा वेबसाइट - www.hdfcbank.com पर उपलब्ध है और इसे इस पथ का अनुसरण करके प्राप्त किया जा सकता है - हमारी कॉर्पोरेट प्रतिबद्धता -> नागरिक चार्टर -> शिकायत निवारण

शिकायत का समाधान 30 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा, यदि आपकी समस्या अभी भी सुलझी नहीं है या यदि आपको शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं मिला है, तो आप भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।

असफल/अप्रभावी घरेलू लेनदेन: असफल लेनदेन/विफलता की स्थिति में, TAT के सामंजस्य के अनुसार, यदि व्यापारी का दावा नहीं उठता है, तो बैंक 5

दिनों के भीतर अवरुद्ध राशि को वापस कर देगा। यदि व्यापारी ऐसे लेनदेन का दावा करता है, तो फ्रेंचाइज़ी दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित विवाद प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, जो मुआवज़ा नीति में शामिल है। मुआवज़ा नीति: समय-सीमा बैंक की वेबसाइट पर हमारी कॉर्पोरेट प्रतिबद्धता > नागरिक चार्टर > ग्राहक मुआवज़ा नीति > क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत प्रदर्शित मुआवज़ा नीति में निर्दिष्ट और अद्यतन की गई है।

जहां यह स्थापित हो जाता है कि बैंक ने प्राप्तकर्ता की लिखित सहमति के बिना क्रेडिट कार्ड जारी और सक्रिय किया है, बैंक तुरन्त ही प्रभार को वापस ले लेगा और प्राप्तकर्ता को बिना किसी आपत्ति के जुर्माना भी देगा जो इस संबंध में वापस लिए गए प्रभार के मूल्य का दोगुना होगा। क्रेडिट खाते का संचालन HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के निबंधन और शर्तों के अनुसार होगा। ग्राहकों द्वारा गलत बताए गए लेन-देन, जिसके लिए किसी व्यापारी प्रतिष्ठान का विशिष्ट संदर्भ आवश्यक है, को कार्ड नेटवर्क (VISA/मास्टरकार्ड/डाइनर्स/रुपे) द्वारा निर्धारित चार्जबैक नियमों के अनुसार संभाला जाएगा। बैंक ग्राहक को अधिकतम साठ दिनों की अवधि के भीतर स्पष्टीकरण और, यदि आवश्यक हो, दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करेगा।

कार्ड जारीकर्ता सात कार्य दिवसों के भीतर यदि क्रेडिट कार्ड बंद करने की प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहता है, तो क्रेडिट कार्ड बंद होने तक ग्राहक को प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना देना होगा, बशर्ते क्रेडिट कार्ड खाते में कोई बकाया न हो।

12. प्रकटीकरण

कॉर्पोरेट यह स्वीकार करता है कि मौजूदा व्यावसायिक प्रथाओं के अनुसार, बैंक समय-समय पर क्रेडिट कार्ड(कार्डों) से संबंधित किसी भी जानकारी को किसी भी क्रेडिट ब्यूरो (वर्तमान या भविष्य के) को प्रकट कर सकता है। क्रेडिट सूचना कंपनियाँ भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक की एक पहल हैं, जिसका उद्देश्य सुधार करना है

वित्तीय प्रणाली की कार्यक्षमता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए इस पहल में भाग लेने वाले सभी बैंक और वित्तीय संस्थानों को ग्राहक डेटा को क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ रेगुलेशन एक्ट 2005 के तहत साझा करना अनिवार्य है। इस संदर्भ में हम कॉर्पोरेट को सूचित करना चाहते हैं कि यदि कार्ड पर बकाया राशि लंबित रहती है, तो बैंक ग्राहक के क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट से संबंधित कोई भी जानकारी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ या किसी भी अन्य क्रेडिट ब्यूरो (वर्तमान और भविष्य) को उचित सूचना देकर प्रकट कर सकता है। बैंक कॉर्पोरेट को यह भी सूचित करता है कि बकाया कार्ड खाते में भुगतान प्राप्त होने पर कार्डधारक का नया / अद्यतन डेटा बैंक द्वारा भुगतान प्राप्ति की तारीख से 30 (तीस) दिनों की अवधि में CIBIL / अन्य क्रेडिट ब्यूरो में परिलक्षित होगा। हम कॉर्पोरेट को यह भी बताना चाहते हैं कि बैंक, अपनी विवेकाधिकार से, कॉर्पोरेट और बैंक प्रतिनिधि के बीच हुई कुछ विशिष्ट बातचीत को रिकॉर्ड कर सकता है, विशेषकर शिकायत निवारण से संबंधित, भुगतान-वसूली से संबंधित या अन्य किसी भी बातचीत को, जिसे बैंक उपयुक्त समझे। चयनित क्रेडिट कार्ड वेरिफैंट्स पर कार्ड पर एक कॉम्प्लिमेंटरी इश्योरेंस कवर भी प्रदान किया जाता है। नामांकित व्यक्ति (Nominee) का विवरण अपडेट करने और नियम एवं शर्तों की अधिक जानकारी के लिए कृपया यूज़ेज गाइड देखें। कृपया आरबीआई परिपत्र संदर्भ संख्या DBR. नाही. लेग. BC.78/09.07.005/2017-18 दिनांक 6 जुलाई, 2017 'ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करना' को देखें, जिसे समय-समय पर अपडेट किया जाता है।

यदि ग्राहक को किसी अनधिकृत लेन-देन पर संदेह हो, तो ग्राहक को फ़ोनबैंकिंग के माध्यम से बैंक को सूचित करना चाहिए और आगे किसी भी अनधिकृत लेन-देन को रोकने के लिए कार्ड को ब्लॉक कराने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

मैं/हम समझते हैं कि **HDFC बैंक इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड(कार्डों)** का उपयोग **विनिमय नियंत्रण विनियमों** के अनुरूप ही कड़ाई से किया जाएगा।

वर्गीकरण - सार्वजनिक

अतिरिक्त अनुसूची - आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान - स्पष्टीकरण (IRACP)

मेरे/हमारे द्वारा जमा किए गए कमर्शियल/कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड आवेदन के संदर्भ में, मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मैंने/हमने नीचे दिए गए विवरणानुसार देय तिथियों, मेरे/हमारे कार्ड को स्पेशल मेशन अकाउंट (SMA) / नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA) के रूप में वर्गीकृत किए जाने से संबंधित अवधारणाओं और उदाहरणों को समझ लिया है।

अवधारणाएँ / स्पष्टीकरण / उदाहरणात्मक उदाहरण

बकाया:

इसका आशय ऋण खाते पर लगाया गया मूलधन/ब्याज/कोई भी प्रभार जो मासिक विवरण में उल्लिखित ऋण सुविधा/भुगतान देय तिथि की मंजूरी की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर देय राशि से है।

अतिदेय:

इसका का आशय, ऋण खाते पर लगाया गया मूलधन/कोई भी शुल्क जो देय है लेकिन ऋण सुविधा की मंजूरी की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया राशि से है। दूसरे शब्दों में, किसी भी ऋण सुविधा के तहत बैंक को देय कोई भी राशि 'अतिदेय' है यदि इसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित नियत तिथि पर नहीं किया जाता है।

भुगतानों का विनियोजन:

कार्डधारक के कार्ड बकाया के विरुद्ध प्राप्त भुगतान को पहले सभी करों, शुल्कों और अन्य चार्जस, ब्याज शुल्क, नकद अग्रिम और फिर खरीदारी में उसी क्रम में समायोजित किया जाएगा।

यदि किसी ऋण खाते में दिनांक 01.02.21 तक कोई अतिदेय राशि नहीं है और मूल किस्त/ब्याज/प्रभार के भुगतान के लिए ₹X की राशि बकाया है, तो ऋण खाते में दिनांक 01.02.21 को या उसके बाद जमा किए जाने वाले किसी भी भुगतान का उपयोग दिनांक 01.02.21 को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।

यह मानते हुए कि फरवरी माह के दौरान कुछ भी भुगतान नहीं किया गया है या बकाया राशि का आंशिक भुगतान (₹Y) किया गया है, तो दिनांक 01.03.21 को अतिदेय राशि ₹X-Y होगी।

अतिरिक्त, 01.03.21 को ₹Z की राशि बकाया हो जाती है, अब 01.03.21 को या उसके बाद खाते में कोई भी भुगतान/आंशिक भुगतान सबसे पहले 01.02.21 (₹X - ₹Y) के आंशिक बकाया का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाएगा। यदि ₹X - ₹Y से अधिक वसूली होती है तो दिनांक 01.02.21 की बकाया राशि वसूलने के बाद, शेष राशि को 01.03.21 की बकाया राशि के लिए वसूली के रूप में माना जाएगा।

सबसे पुराने बकाए राशि की अवधि:

सबसे पुराने बकाए राशि की अवधि की गणना उस तिथि से दिनों में की जाती है जिस दिन सबसे पुराना भुगतान देय है और उपर्युक्त उदाहरण में भुगतान न किया जाना जारी है, यदि दिनांक 1 फरवरी 2021 से संबंधित बकाए राशि का भुगतान दिनांक 01.03.21 तक नहीं किया जाता है, तो सबसे पुराने बकाए राशि की अवधि दिनांक 02.03.21 को 30 दिन मानी जाएगी।

विशेष उल्लेख खाता (SMA) और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA):

के रूप में वर्गीकरण ऋण देने वाली संस्थाएं ऋण खातों में प्रारंभिक तनाव को, डिफॉल्ट पर तुरंत, विशेष उल्लेख खातों (SMA) के रूप में वर्गीकृत करके पहचान लेंगी। SMA/NPA श्रेणी के वर्गीकरण का आधार इस प्रकार होगा:

| क्रेडिट कार्ड खाते में बकाया या उस पर अतिरिक्त ऋण (यहाँ उल्लिखित क्रेडिट कार्ड बकाया के लिए कार्ड विवरण में उल्लिखित न्यूनतम देय राशि है) | |
|---|--|
| SMA उप-श्रेणियाँ | वर्गीकरण का आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि जो पूर्णतः या आंशिक रूप से अतिदेय हो |
| SMA-0 | 30 दिन तक |
| SMA-1 | > 30 दिन और 60 दिन तक |
| SMA-2 | > 60 दिन और 90 दिन तक |

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति:

यदि स्टेटमेंट में उल्लिखित न्यूनतम देय राशि, स्टेटमेंट में दर्शाए गए भुगतान देय तिथि से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह से अदा नहीं की जाती है, तो उस क्रेडिट कार्ड खाते को अनुत्पादक संपत्ति (एनपीए) माना जाएगा।

वर्गीकरण - सार्वजनिक

| भुगतान की नियत तिथि | भुगतान की नियत तिथि | भुगतान में शामिल | सबसे पुरानी देय राशि की अवधि दिनों में शामिल | SMA 1 NPA वर्गीकरण | SMA कब से/SMA वर्गीकरण की तिथि | NPA वर्गीकरण | NPA की तिथि |
|---------------------|---------------------|---|--|--------------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| 01.02.2022 | 01.02.2022 | दिनांक 01.01.22 तक विवरण में उल्लिखित भुगतान बकाया | 0 | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 01.02.2022 | 01.02.2022 | दिनांक 01.02.22 तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा या आंशिक भुगतान किया जाएगा | 1 | SMA-0 | 01.02.22 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 01.02.2022 | 01.02.2022 | दिनांक 01.02.22 तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा या आंशिक भुगतान किया जाएगा | 2 | SMA-0 | 01.02.22 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 01.03.2022 | | 01.02.22 का बकाया पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया है। 01.03.22 का बकाया भी EOD 01.03.22 पर देय है | 29 | SMA-0 | 01.02.22 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | | दिनांक 01.02.22 का बकाया राशि का पूर्ण रूप से भुगतान किया गया, 01.03.22 का बकाया 01.03.22 EOD पर भुगतान नहीं किया गया | 1 | SMA-0 | 01.03.22 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | | 01.02.22 का बकाया पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया है। 01.03.22 का बकाया भी EOD 03.03.22 पर देय है | 31 | SMA-1 | 01.02.22 / 03.03.22 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | | 01.02.22 का बकाया पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया है। 01.03.22 का बकाया भी EOD | 1 | SMA-0 | 01.03.22 | लागू नहीं | लागू नहीं |

वर्गीकरण - सार्वजनिक

| | | | | | | | |
|------------|------------|--|----|-------|---------------------------|--------------|------------|
| | | EOD 02.04.22 पर 01.02.22 से 01.04.22 तक की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा | 61 | SMA 2 | 01.02.22 / 02.04.22 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 01.05.2020 | | 01.02.22 से 01.05.22 तक की बकाया राशि का भुगतान EOD 02.05.22 पर नहीं किया जाएगा | 90 | SMA 2 | 01.02.2022/ 02.04.2022 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | | EOD दिनांक 01.06.22 पर 01.02.22 का पूरा बकाया राशि का पूर्ण भुगतान किया गया | 91 | NPA | लागू नहीं | NPA | 02.05.2022 |
| 01.06.2022 | 01.06.2022 | EOD 01.07.22 पर 01.03.22 और 01.04.22 का संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान किया गया | 93 | NPA | लागू नहीं | NPA | 02.05.2022 |
| 01.07.2022 | 01.07.2022 | EOD 01.08.22 पर 01.05.22 और 01.06.22 का संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान किया गया | 62 | NPA | लागू नहीं | NPA | 02.05.2022 |
| 01.08.2022 | 01.08.2022 | EOD 01.09.22 पर 01.07.22 और 01.08.22 का संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान किया गया | 32 | NPA | लागू नहीं | NPA | 02.05.2022 |
| 01.09.2022 | 01.09.2022 | दिनांक 01.09.22 और 01.10.22 का संपूर्ण बकाया राशि का | 1 | NPA | लागू नहीं | NPA | 02.05.2022 |

मैं/हम यह भी समझते हैं कि उपर्युक्त कुछ उदाहरण सिर्फ उदाहरणात्मक हैं तथा सामान्य परिदृश्यों को शामिल करने वाले संपूर्ण नहीं हैं, तथा उपर्युक्त विषयों पर RBI द्वारा प्रदान किए गए आईआरएसीपी मानदंड और स्पष्टीकरण ही मान्य होंगे।